पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 16 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–28.03.2024

दिनांक 27/28.03.2024 को थाना आशियाना 01, बिजनौर 01, मड़ियावं 03, पीजीआई 02, ठाकुरगंज 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना आलमबाग 01, बंथरा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 16 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–दिनांक 28.03.2024 को थाना पीजीाआई द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती सरोज पत्नी मुन्नालाल निवासी–खदारी बाजार, दरबारी लाल का हाता थाना कैसरबाग ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादिनी का पुत्र अमन रावत जो कि अनके प्रकार के नशे में धुत होकर आये दिन वादिनी व उसकी पुत्रियों के साथ मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग आये दिन करता रहता है और नशे के लिए पैसा मांगने के लिए किसी भी हद को पार करने पर तैयार रहता है। वादिनी होली के त्योहार पर अपनी पुत्रियों को लेकर अपने मायके तेलीबाग,कुबेर बगिया थाना पीजीआई चली गयी थी। इसी क्रम में दिनांक 25.03.2024 को प्रातः करीब 04.00 बजे अचानक वादिनी का पुत्र अमन उपरोक्त घर में घुस आया और चीख पुकार करते हुए आमादा फौजदारी हो गया व वादिनी के गले की चेन छीनने की कोशिश करने लगा। वादिनी के चीखने पर उसने वादिनी के कान के टप्स छीन लिए और बीच–बचाव में आयी वादिनी की दोनों पुत्रियों रीमा व मोनी पर कैंची से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादिनी की दोनों पुत्रियों को गंभीर चोटें आयीं हैं। विशेष रूप से मोनी को गंभीर चोटें आयीं हैं। वादिनी व वादिनी की पुत्रियां काफी डरी हुयी हैं। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0179/2024 धारा 323/324/307/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना इन्दिरानगर–दिनांक 28.03.2024 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री उत्कर्ष गुप्ता पुत्र श्री उमाशंकर गुप्ता निवासी–529घ/31, गांधी नगर कालोनी, रिंग रोड खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि वादी अपने उक्त आवास पर पिछले कुछ वर्षों से निवास कर रहा है। दिनांक 21.03.2024 को सुबह करीब 08.50 बजे वादी के घर में एक अज्ञात व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से दाखिल हुआ, उसके बाद वादी के घर के भूतल के पार्किंग एरिया में इधर–उधर ताक झांक करने के बाद वादी के घर के प्रथम तल जहां पर वादी अपने परिवार समेत निवास करता है, वहां से उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा 03 अदद मोबाइल फोन मय चार्जर, 01 लाख रूपये नगद व अन्य कीमती सामान को चोरी कर लिया गया। उक्त चोरी की घटना वादी के सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। **इस सचूना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 69/2024 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**